भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण
Airports Economic Regulatory Authority of India
तृतीय तल, 'उड़ान, सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली – 110003

F.No. A-12036/2012-Estb. 24071

दिनांक : 19 मार्च, 2026

विषय : भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण में अनुबंध के आधार पर कंसल्टेंट (राजभाषा) की नियुक्ति

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा) कंसल्टेंट (राजभाषा) (01) को नियुक्त करने का प्रस्ताव करता है। प्राधिकरण के सरकारी कार्य में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन करने तथा हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए व्यापक गतिविधियां आयोजित करने और महत्वपूर्ण दस्तावेजों का अंग्रेज़ी से हिंदी तथा हिंदी से अंग्रेज़ी अनुवाद करने के लिए कंसल्टेंट (राजभाषा) की सेवाएं अपेक्षित है। इस पद के लिए अपेक्षित योग्यता और अनुभव प्राप्त उम्मीदवारों को अनुबंध के आधार पर कंसल्टेंट (राजभाषा) के रूप में नियुक्त किया जाएगा।

आवेदक को आवेदन पत्र पर स्पष्ट रूप से 'कंसल्टेंट (राजभाषा) के पद के लिए आवेदन पत्र' लिखना होगा। आवेदक को नीचे दिए गए पते पर स्थित प्रेषिती से केवल ई-मेल/डाक/कूरियर के माध्यम से ही संपर्क करना है। टेलीफोन कॉल या अन्य संचार साधनों से किए जाने वाले संपर्क पर विचार नहीं किया जाएगा।

पद का विवरण इस प्रकार है: -

1. **नौकरी सबंधी अपेक्षा :** संलग्नक-I में दी गई विस्तृत संदर्भ शर्तों के अनुसार।
2. **योग्यता , अनुभव, पारिश्रमिक और वार्षिक वेतन वृद्धिः** योग्यता , अनुभव, पारिश्रमिक और वार्षिक वेतन वृद्धि नीचे तालिका में दी गई है:

क्र. सं.	पदों (श्रेणी) का नाम एवं इनकी संख्या	योग्यता	वांछनीय	समेकित पारिश्रमिक	वार्षिक वेतन वृद्धि
1	2	3	4	5	6
1	कंसल्टेंट (राजभाषा) (01)	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (बैचलर) स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में अंग्रेजी या हिंदी विषय के साथ हिंदी या अंग्रेजी में स्नातकोत्तर (मास्टर) डिग्री; तथा (ii) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से हिंदी से अंग्रेजी में या अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद में डिग्री/डिप्लोमा	केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के कार्यालयों/भारत सरकार के उपक्रमों/ वैधानिक निकाय/ स्वायत निकाय में हिंदी से अंग्रेजी या अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद और राजभाषा नीति के कार्यान्वयन का अनुभव प्राप्त उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी।	75,000/- रूपए प्रतिमाह	संतोषजनक कार्य निष्पादन होने पर समेकित पारिश्रमिक का 6%

टिप्पणी:

(i) उपुर्यक्त योग्यता, जो किसी भी माध्यम से प्राप्त की गई हो, जैसे पूर्ण कालिक/अंश कालिक/पत्राचार आदि और किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान (भारत या विश्व में कहीं भी) से हो, स्वीकार्य होगी।
(ii) मंहगाई भत्ता, आवास, फोन/वाहन/परिवहन के लिए प्रतिपूर्ति, विदेश यात्रा, निजी स्टाफ, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, सीजीएचएस आदि जैसी कोई अन्य सुविधा/भत्ते आदि स्वीकार्य नहीं होंगे।
(iii) पदों की संख्या बिना किसी पूर्व सूचना के और बिना कोई कारण बताए परिवर्तित की जा सकती है।
(iv) उम्मीदवार अपने शासकीय कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने के लिए पूर्णत: स्वस्थ होना चाहिए।

3. **सामान्य शर्तें एवं निबंधन:**

3.1 **ऊपरी आयु सीमा:** कंसल्टेंट (राजभाषा) के पद के लिए आयु आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 68 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

3.2 **कार्यकाल:** इस विज्ञापन के माध्यम से लिए गए कार्मिक की नियुक्ति प्रारंभ में दो वर्ष के लिए की जाएगी। साथ ही यह भी शर्त है कि उनके कार्यनिष्पादन की एक (1) वर्ष के बाद यह समीक्षा की जाएगी कि उनका कार्य निष्पादन संतोषजनक है या नहीं। दो वर्ष का प्रारंभिक कार्यकाल प्राधिकरण की आवश्यकता और इस विज्ञापन के माध्यम से लिए गए कार्मिक के संतोषजनक कार्यनिष्पादन की शर्त पर दो (2) वर्ष की अतिरिक्त अवधि तक के लिए बढ़ाया जा सकता है।

3.3 **स्थान परिवर्तन और स्थानांतरण:** इस विज्ञापन के माध्यम से लिए गए कार्मिक को विशिष्ट कार्यालय सुविधाओं/स्थान के लिए कोई अधिकार नहीं होगा/दावा नहीं करेगा, बल्कि यह पूर्णत: सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर निर्भर करेगा।

3.4 इस विज्ञापन के माध्यम से लिए गए कार्मिक को ऐरा में नियुक्ति की अवधि के दौरान कोई भी अन्य रोजगार लेने की अनुमति नहीं होगी। यह नियुक्ति विशुद्ध रूप से अनुबंध के आधार पर है और इसे क्लॉज 9 के अनुसार किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। अनुबंध ड्यूटी पर काम और दिन नियत होने के बाद चयनित कंसल्टेंट को किसी भी समय किसी भी प्रकार के रोजगार के लिए कोई अभ्यावेदन या दावा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

4. **छुट्टी:** इस विज्ञापन के माध्यम से लिए गए कार्मिक आनुपातिक आधार पर एक (01) वर्ष की पूर्ण अवधि के लिए बारह (12) दिन की आकस्मिक छुट्टी के लिए पात्र होंगे। इस विज्ञापन के माध्यम से लिए गए कार्मिक को स्वीकार्य छुट्टी से अधिक अनुपस्थिति की अवधि के लिए कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। अप्रयुक्त छुट्टी को न तो अगले वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जाएगा और न ही भुनाया जाएगा। इस विज्ञापन के माध्यम से लिए गए कार्मिक को बिना किसी अतिरिक्त पारिश्रमिक के शनिवार/रविवार और बंद छुट्टी के दिन तथा सामान्य कार्यालय समय के बाद भी कार्यालय में उपस्थित रहने की आवश्यकता हो सकती है। परंतु, इस विज्ञापन के माध्यम से लिए गए कार्मिक रविवार को किए गए ऐसे कार्य के लिए प्रतिपूरक छुट्टी लेने के हकदार होंगे। हकदारी वाली छुट्टी के अलावा, इस विज्ञापन के माध्यम से लिए गए कार्मिक एक (01) वर्ष में अधिकतम पंद्रह (15) दिन बिना वेतन की छुट्टी ले सकते हैं। यदि इस विज्ञापन के माध्यम से लिए गए कार्मिक पंद्रह (15) दिन से अधिक समय तक बिना वेतन के अनुपस्थित रहते हैं, तो सक्षम प्राधिकारी को बिना किसी नोटिस और बिना किसी परिणामी लाभ के नियुक्ति के अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार है।

5. **नियुक्ति का प्रकार :** नियुक्ति विशुद्ध रूप से अनुबंध के आधार पर होगी।

6. **मूल्यांकन एवं चयन का आधार:** प्राप्त आवेदनों की जांच इस नोटिस (और शुद्धिपत्र, यदि कोई हो) में निर्धारित मापदंडों के आधार पर की जाएगी। उम्मीदवारों का चयन साक्षात्कार और/या समूह चर्चा के माध्यम से किया जाएगा। इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

ऐरा उपयुक्तता/चयन के संबंध में अंतिम निर्णय लेने से पहले संक्षिप्त सूची में शामिल आवेदकों को अपने विवेकाधिकार से वैयक्तिक बातचीत के लिए बुला सकता है। साक्षात्कार प्राधिकरण के सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार निर्धारित किया जाएगा और आवेदक का इस संबंध में कोई दावा नहीं होगा।

7. **भत्ते, यात्रा और मुआवजा:**

7.1 साक्षात्कार/वैयक्तिक बातचीत के लिए या नियुक्ति होने पर कार्यभार ग्रहण करने या नियुक्ति की अवधि पूर्ण होने पर कोई यात्रा भत्ता (टीए)/मंहगाई भत्ता (डीए)/खर्च स्वीकार्य नहीं होगा।

7.2 इस विज्ञापन के माध्यम से लिए गए कार्मिक को ऐरा के सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त होने पर शासकीय प्रायोजनों के लिए अंतरदेशीय दौरे करने होंगे। उन्हें नीचे बताए अनुसार आधिकारिक व्यय के लिए निम्नलिखित प्रतिपूर्ति या अग्रिम अनुदान की अनुमति दी जाएगी:

पद	यात्रा का माध्यम	होटल, टैक्सी और भोजन बिलों की प्रतिपूर्ति
कंसल्टेंट (राजभाषा)	इकॉनोमी क्लास से हवाई यात्रा या रेल के एसी टू टियर द्वारा यात्रा	होटल आवास के लिए प्रतिदिन 2250 रुपये; शहर के भीतर यात्रा के लिए प्रतिदिन 338 रुपये तक का टैक्सी शुल्क तथा प्रतिदिन अधिकतम 900 रुपये के भोजन बिल की अनुमति होगी।

7.3 इस विज्ञापन के माध्यम से लिए गए कार्मिक के आश्रित इस विज्ञापन के माध्यम से लिए गए कार्मिक की भारत सरकार के किसी भी कार्यालय या ऐरा के परिसर में मृत्यु, चोट लगने या बीमार हो जाने पर किसी भी मुआवजे या किसी भी दावे के हकदार नहीं होंगे, भले ही यह दुर्घटना अनुबंध की शर्तों के अंतर्गत ऐरा की ओर से सेवा करते समय और/या अनुबंध के अंतर्गत आधिकारिक कर्तव्य के लिए यात्रा करते समय या कोई सेवा करते समय या अन्यथा ऐरा के या भारत सरकार के किसी कार्यालय के परिसर में हुई हो।

8. स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस):

आयकर अधिनियम एवं उसके नियमों के तहत लागू टीडीएस इस विज्ञापन के माध्यम से लिए गए कार्मिक के मासिक पारिश्रमिक से काटा जाएगा।

9. अनुबंध की समाप्ति:

9.1 इस विज्ञापन के माध्यम से लिए गए कार्मिक की नियुक्ति ऐरा द्वारा दो माह का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है। यदि कोई भी पक्ष दो माह का नोटिस दिए बिना नियुक्ति समाप्त करता है तो नियुक्ति समाप्त करने वाले पक्ष को नोटिस की अवधि के बदले आनुपातिक समेकित पारिश्रमिक का भुगतान करना होगा। परंतु यह नीचे उल्लिखित अन्य खंडों के अधीन होगा।

9.2 इस विज्ञापन के माध्यम से लिए गए कार्मिक को नियुक्ति से इस्तीफा देने से पहले दो माह का अग्रिम नोटिस या उसके बदले में पारिश्रमिक देना होगा।

9.3 परंतु, ऐरा को इस विज्ञापन के माध्यम से लिए गए किसी भी कार्मिक की नियुक्ति उसके कार्यनिष्पादन के आधार पर किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के या इसके लिए कोई कारण बताए बिना समाप्त करने का अधिकार है। इसके अलावा ऐरा नियुक्ति के अनुबंध की शर्तों के प्रावधानों का उल्लंघन किए जाने पर इस विज्ञापन के माध्यम से लिए गए किसी भी कार्मिक की नियुक्ति को बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर सकता है। यदि इस विज्ञापन के माध्यम से लिए गए कार्मिक के कार्यनिष्पादन या नियुक्ति की शर्तों के उल्लंघन के कारण ऐरा द्वारा नियुक्ति समाप्त की जाती है तो ऐरा द्वारा कोई नोटिस जारी नहीं किया जाएगा और नोटिस की अवधि के बदले में किसी भी आनुपातिक समेकित पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाएगा।

9.4 यदि इस विज्ञापन के माध्यम से लिया गया कोई भी कार्मिक दिए गए कार्य को ऐरा के नियंत्रण अधिकारी/सक्षम प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार नहीं कर पाता/पाती है, तो उसकी सेवा बिना कोई नोटिस दिए और बिना कोई कारण बताए सार्वजनिक हित में समाप्त की जा सकती है।

9.5 यदि इस विज्ञापन के माध्यम से लिए गए कार्मिक की सेवा का कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाता है तो अवधि पूर्ण होने पर उनकी नियुक्ति समाप्त हो जाएगी।

9.6 यदि इस विज्ञापन के माध्यम से लिए गए कार्मिक की नियुक्ति ऐरा द्वारा एक (01) वर्ष पूरा होने से पहले समाप्त कर दी जाती है या इस विज्ञापन के माध्यम से लिए गए कार्मिक एक (01) वर्ष पूरा होने से पहले ऐरा की अपनी नियुक्ति समाप्त कर लेते हैं तो उन्हें कार्य संबंधी कोई प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा।

10. विवादों की कानूनी स्थिति और निपटान:

10.1 इस विज्ञापन के माध्यम से लिए गए कार्मिक को ऐरा के संबंध में इस विज्ञापन के माध्यम से लिए गए अलग कार्मिक का कानूनी दर्जा प्राप्त होगा और किसी भी प्रयोजन के लिए उसे ऐरा का "स्टाफ सदस्य" या ऐरा का "अधिकारी" नहीं माना जाएगा। तदनुसार, नियुक्ति की अवधि में या इस संबंध में किसी भी बात से नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध नहीं होगा।

10.2 ऐरा और इस विज्ञापन के माध्यम से लिए गए प्रत्येक कार्मिक नियुक्ति/अनुबंध या उसके उल्लंघन, समापन या अमान्यता के कारण होने वाले किसी भी झगड़े, विवाद या दावे को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए पूर्ण प्रयास करेंगे। किसी भी विवाद के मामले में, ऐरा के सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

10.3. इस विज्ञापन में स्पष्टतया न बताए गए सभी मामलों के लिए ऐरा के सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

11. डाटा और दस्तावेज़ों की गोपनीयता:

11.1 ऐरा में नियुक्ति की अवधि के दौरान एकत्रित डाटा के साथ-साथ तैयार सामग्री के बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) ऐरा के पास रहेंगे।

11.2 इस विज्ञापन के माध्यम से लिए गए कार्मिक अपने कार्य के प्रयोजनों के लिए या ऐरा के लिए कार्य करने के दौरान एकत्रित किए गए डाटा या स्टेटिस्टिक्स या कार्यवाही या सूचना के किसी भी भाग का ऐरा की लिखित सहमति के बिना उपयोग, प्रकाशन नहीं करेगा या किसी तीसरे पक्ष को नहीं देगा।

11.3 इस विज्ञापन के माध्यम से लिए गए कार्मिक को नियुक्ति/अनुबंध की समाप्ति से पहले तथा ऐरा द्वारा अंतिम भुगतान जारी किए जाने से पहले कार्य संबंधी सभी रिकॉर्ड ऐरा के रिपोर्टिंग अधिकारी को सौंपने होंगे।

12. ऐरा के नाम, प्रतीक या आधिकारिक मुहर का उपयोग:

इस विज्ञापन के माध्यम से लिए गए कार्मिक ऐरा में नियुक्ति का व्यावसायिक लाभ उठाने के इरादे से स्वयं प्रतिनिधित्व या अन्यथा सार्वजनिक नहीं करेंगे। इस विज्ञापन के माध्यम से लिए गए कार्मिक किसी भी मामले में, चाहे जो भी हो, ऐरा की अनुमति के बिना अपने व्यवसाय के संबंध में या अन्यथा भारत सरकार या ऐरा के नाम, प्रतीक या आधिकारिक मुहर या ऐरा के नाम के किसी भी संक्षिप्त नाम का उपयोग नहीं करेंगे।

13. तैनाती का स्थान :

इस विज्ञापन के माध्यम से लिए गए कार्मिक की नियुक्ति का स्थान नई दिल्ली होगा।

14. छूट :

इस विज्ञापन में उल्लिखित किसी भी शर्त में अपवादात्मक मामलों में लिखित रूप में कारण दर्ज करके तथा ऐरा के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से छूट दी जा सकती है/ परिवर्तन किया जा सकता है।

15. सक्षम प्राधिकारी को निम्नलिखित अधिकार है:

i. किसी भी कारण से इस चयन और/या नियुक्ति को रद्द/स्थगित करना।

ii. किसी भी या सभी आवेदनों को कोई स्पष्टीकरण दिए बिना स्वीकार या अस्वीकार करना।

16. आवेदन प्रस्तुत करने के लिए दिशानिर्देश: इच्छुक आवेदक आम तौर पर निर्धारित प्रारूप में (मोटे तौर पर) स्पष्ट रूप से और विधिवत भरे हुए अपने आवेदन पत्र भेजें और आवेदन के ऊपर स्पष्ट रूप से आवेदन किए गए पद का नाम लिखें। आवेदक को योग्यता, अनुभव संबंधी स्वयं द्वारा सत्यापित प्रतियों के सेट के साथ सभी संबंधित मूल दस्तावेज साक्षात्कार के दिन लाने होंगे। ई-मेल/ डाक/कूरियर के माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्र ही स्वीकार किए जाएंगे। अन्य किसी भी माध्यम से/ हाथों-हाथ आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन पत्र 08.04.2026 को सायं 05.30 बजे या उससे पहले नीचे दिए गए पते पर इस कार्यालय में पहुंच जाने चाहिए। उपर्युक्त समय-सीमा के बाद प्राप्त किसी भी आवेदन/अधूरे आवेदन/स्पष्ट रूप से निर्धारित प्रारूप में (मोटे तौर पर) नहीं प्राप्त आवेदनों को रद्द कर दिया जाएगा। ऐरा अपने विवेकानुसार कोई भी उपयुक्त समझा जाने वाला दस्तावेज/सूचना मांग सकता है। इच्छुक आवेदक जिन्होंने पहले के किसी विज्ञापन के संबंध में आवेदन भेजा था, उन्हें भी नया आवेदन भेजना होगा और पहले के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

उप प्रमुख
भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण,
तृतीय तल, उड़ान भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली- 110003
ई-मेल पता : - estt-rectt@aera.gov.in

(डॉ. कमलेश कुमार)
उप प्रमुख, ऐरा

<u>अनुलग्नक -I</u>

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण में कंसल्टेंट (राजभाषा) की नियुक्ति के लिए संदर्भ शर्तें

कंसल्टेंट (राजभाषा) की सेवाओं का उपयोग निम्नलिखित कार्य करने के लिए किया जाएगा:

कंसल्टेंट (राजभाषा):

<u>काम का दायरा/संदर्भ शर्तें</u>: -

1 प्राधिकरण के महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों का अंग्रेज़ी से हिंदी तथा हिंदी से अंग्रेज़ी अनुवाद संबंधित सभी कार्य।

2 भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से जुड़े निम्नलिखित कार्य (लेकिन कार्य इन्हीं तक सीमित नहीं हैं):-

(क) राजभाषा विभाग, नागर विमानन मंत्रालय और भारत सरकार के विभिन्न कार्यालयों से प्राप्त कागज़ातों पर कार्रवाई करना।
(ख) संसदीय राजभाषा समिति, नागर विमानन मंत्रालय, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति एवं अन्य कार्यालयों द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न बैठकों से संबंधित सभी कार्य करना और इन बैठकों में भाग लेना।
(ग) प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट, परिणामी बजट आदि जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों का अनुवाद एवं इनके लिए सामग्री उपलब्ध करना।
(घ) राजभाषा नीति से संबंधित सभी फाइलों और रिकॉर्ड का रख-रखाव करना।
(ङ) तिमाही, छमाही एवं अपेक्षानुसार अन्य रिपोर्टें तैयार करना;
(च) ऐरा की द्विभाषी वेबसाइट से संबंधित अनुवाद एवं अन्य कार्य
(छ) प्राधिकरण में विभिन्न अवसरों पर और वरिष्ठ अधिकारियों के निदेशानुसार आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों/गतिविधियों का सुचारू रूप से संचालन एवं इनसे संबंधित सभी कार्य करना।

(ज) प्राधिकरण की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों का नियमित रूप से आयोजन और इससे संबंधित सभी कार्य करना।

(झ) हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन और अन्य कार्यालयों द्वारा आयोजित की जाने वाली कार्यशालाओं में भाग लेना।

(ञ) हिंदी पखवाड़ा/हिंदी दिवस का आयोजन और इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं एवं कार्यक्रमों का संचालन करना।

(ट) प्राधिकरण में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए अनुभागों का निरीक्षण और अपेक्षानुसार कार्मिकों का मार्गदर्शन करना।

(ठ) राजभाषा विभाग, नागर विमानन मंत्रालय तथा अन्य कार्यालयों द्वारा आयोजित किए जाने वाले विभिन्न कार्याक्रमों/गतिविधियों में भाग लेना।

(ड) प्राधिकरण के कार्मिकों को हिंदी भाषा/टाइपिंग/आशुलिपि के प्रशिक्षण के लिए भेजना।

(ढ) राजभाषा विभाग की मूल रूप से हिंदी में कार्य करने की प्रोत्साहन योजना से संबंधित सभी कार्य।

3 ऐरा के वरिष्ठ अधिकारियों की अपेक्षानुसार कोई अन्य कार्य।

संलग्नक-II

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा) में कंसल्टेंट (राजभाषा) की भर्ती के लिए आवेदन प्रारूप

जिस पद (श्रेणी) के लिए आवेदन किया गया है उसका नाम:

पासपोर्ट आकार का नवीनतम फोटो लगाएं

1. नाम :

2. पिता का नाम:

3. क) जन्म तिथि :

(ख) आयु (आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख को) :

(ग) क्या आवेदक की आयु विज्ञापन के क्लॉज 3.1 में निर्धारित ऊपरी आयु सीमा के अंतर्गत है: ....**(हां/नहीं लिखें)**। कृपया जन्म तिथि दर्शाने वाले किसी भी सरकारी पहचान दस्तावेज (आधार/मतदाता पहचान पत्र/ड्राईविंग लाइसेंस आदि) की प्रति भी संलग्न करें।

4. राष्ट्रीयता :

5. डाक विवरण:

डाक/वर्तमान पता	स्थायी पता	फोन/मोबाइल	ई-मेल आईडी

6. शैक्षिक योग्यता : -

क्र. सं.	योग्यता	विश्वविद्यालय/संस्थान	उत्तीर्ण करने का वर्ष	डिवीजन/ श्रेणी

7. वांछनीय : -

क्र. सं.	संगठन/संस्थान (क)	कब से (वर्ष एवं माह) (ख)	कब तक (वर्ष एवं माह) (ग)	समयावधि [वर्ष एवं माह] (घ) = [(ग)-(ख)]	किए गए कार्यों का संक्षिप्त विवरण (ड.)

8 *आवेदक यदि चाहे तो वह योग्यता/अनुभव/कौशल आदि से संबंधित दस्तावेज संलग्न कर सकता/सकती है।*

9 घोषणा :

1) मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे आवेदन में दी गई सभी जानकारी और दस्तावेज मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य हैं। मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई किसी भी गलत/भ्रामक/अधूरी जानकारी या दस्तावेजों के लिए मैं पूरी तरह से जिम्मेदार रहूँगा/रहूंगी।

2) मैं एतद्द्वारा रिक्ति सूचना और शुद्धिपत्र (यदि कोई हो) के सभी नियमों और शर्तों से सहमत होने और उनका पालन करने की पुष्टि करता/करती हूँ।

3) मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि जिस पद के लिए मैं आवेदन कर रहा/रही हूँ उसके लिए मेरे पास निर्धारित योग्यता और वांछनीय योग्यता है तथा मैं यह भी प्रमाणित करता/करती हूँ कि जिस पद के लिए मैं आवेदन कर रहा/रही हूँ उसके लिए रिक्ति सूचना में उल्लिखित सभी अपेक्षाएँ मैं पूरी करता/करती हूँ।

4) मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मैं अपने शासकीय कर्तव्यों का निर्वहन प्रभावी ढंग से करने के लिए स्वस्थ हूँ।

5) मैं समझता/समझती हूं कि अपूर्ण आवदेन/उपयुक्त प्रारूप में न प्राप्त आवेदन तथा नियत तारीख के बाद ऐरा में प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

(उम्मीदवार का नाम एवं हस्ताक्षर)

स्थान :

दिनांक: